दिनांक–12.03.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

1. बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :–
   (1) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग
   (2) श्री ब्रजेश कुमार, मुख्य अभियंता, Patna Division, BCD
   (3) श्री रामाज्ञा कुमार, मुख्य अभियंता, North Division, BCD
   (4) श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, South Division, BCD
   (5) श्री नवल किशोर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भागलपुर, BCD
   (6) श्री अभय कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, गया जी, BCD
   (7) श्री एम0 एस0 याहया, निदेशक, अनुश्रवण, BCD
   (8) मो0 रजाउल्लाह, PMU Lead, BCD

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

   I. राज्य में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा कुल 2615 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक निर्मित पंचायत सरकार भवन की संख्या–356, निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की संख्या–1976 तथा 351 पंचायतो में भूमि अप्राप्त या समस्याग्रस्त होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

   निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है वहां निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

   II. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि BCD के द्वारा 2615 निर्माण किये जा रहे पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 08 पंचायत सरकार भवन की प्रविष्टि पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी है, जो चिंताजनक है। निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन की अद्यतन प्रगति पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर यथाशीघ्र प्रविष्ट करे। विभागीय संकल्प के आलोक में पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी प्रविष्टि के आधार पर ही राशि आवंटित की जाएगी। प्रविष्टि नहीं होने के स्थिति में राशि Lapse होने की जवाबदेही भवन निर्माण विभाग (BCD) की होगी।

   BCD के मुख्य अभियंता एवं सभी अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण करायें तथा

कृ०पृ०उ०......

संबंधित प्रतिवेदन पंचातयी राज विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियंता एवं कनीय अभियंता को भी स्थल निरीक्षण करते हुए PSB का फोटो Selfie के रूप में अपलोड करने हेतु मुख्य अभियंता को अपने स्तर से आदेश निर्गत करने का निदेश दिया गया। निरीक्षण/पर्यवेक्षण के अभाव में निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में संबंधित कनीय, सहायक एवं कार्यपालक अभियंता की जवाबदेही तय की जाए तथा पंचायती राज विभाग को भी कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन दें।

III. विभाग के द्वारा जाँच दल गठित कर पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण कराया गया। जाँच दल के द्वारा दिये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में विधिवत कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया। अबतक कुल 29 निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई हेतु भेजा गया है जिसमें से एक का भी ATR (Action Taken Report) प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशित किया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में पाई गयी कमियों का निराकरण करते हुए संबंधित अभियंता एवं संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें।

IV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ₹2159.714 करोड़ रूपये की राशि के विरूद्ध BCD के द्वारा मात्र ₹280.00 करोड़ रूपये की उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि शेष राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलंब पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

V. मुख्य अभियंता के द्वारा बताया गया कि योजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा PMIS (Project Management Information System) App विकसित किया गया है। इसी App के माध्यम से निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की Monitoring की जाती है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा विकसित PMIS App PSB की Monitoring के लिए काफी उपयोगी है।

मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग को निदेश दिया गया कि PMIS App का User Id एवं Password पंचायती राज विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए ताकि PSB की Monitoring पंचायती राज विभाग के स्तर से की जा सके।

VI. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर Local issues को resolve करते हुए एक सप्ताह के अंदर विधिवत पंचायत सरकार भवनों का हस्तांतरण कराना सुनिश्चित किया जाए।

लगातार..........

भवन निर्माण विभाग के द्वारा बताय गया कि हस्तांतरण में संबंधित मुखिया द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है जिसके कारण निर्मित पंचायत सरकार भवन का ससमय हस्तांतरण नहीं हो पाता है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि हस्तांतरण की प्रक्रिया में मुखिया का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं किया जाए तथा निर्मित PSB का हस्तांतरण DPRO एवं BPRO के माध्यम से कराना सुनिश्चित करे।

VII. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा 2615 निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवनके विरूद्ध 351 पंचायतों में भूमि विवाद/अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाई समाप्त की गयी।

16/3/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग

ज्ञापांक :–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/4500/पं०रा० पटना, दिनांक 17/3/2026
प्रतिलिपि :–सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/4500/पं०रा० पटना, दिनांक 17/3/2026
प्रतिलिपि :–अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/4500/पं०रा० पटना, दिनांक 17/3/2026
प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–9प०/प्र०–08–802(खण्ड)/2016/4500/पं०रा० पटना, दिनांक 17/3/2026
प्रतिलिपि:–आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16.3.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव